



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/SOLAR-DEHY./2023-24/2511

दिनांक : 01.11.2023

प्रति,

प्रसारण क्रमांक - 01

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : निगम द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए SOLAR DEGYDRATOR की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम द्वारा व्यवसाय हेतु SOLAR DEGYDRATOR का वर्ष 2023-24 के लिए ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित कर दरें चाही गयी थी।

निगम के साथ व्यवसाय हेतु एल-1 दरों पर निम्नलिखित प्रदायकों ने अनुबंध संपादित किया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S AAROHAH AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED CHEMBER NO. 610 BEHIND DISTRICT COURT, ARERA HILL, S BHOPAL (MP) MOB 9302151358 E-MAIL : aarohanricha@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 12%	TOTAL PURCHASE PRICE (3+4)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 12% ON (6+7)	FINAL SELLING PRICE (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	SOLAR DEGYDRATOR	95000	11400	106400	95000	4750	11970	111720

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरें एवं प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 01.11.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 31.01.2024) तक लागू रहेंगी।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं होगी।
- आदेश प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :-
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।



4. **सामग्री की गुणवत्ता :**

- (अ) प्रदायकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के सामग्री प्रदाय करना आवश्यक है। परिवहन के दौरान यदि किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबंधक सामग्री प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेंगे। सामग्री वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साईनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।
- (ब) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरुद्ध आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

5. **सामग्री की प्रदायगी :** प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (अ) जिला प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि क्रेता विभाग को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर किया जावे।
- (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
- (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

6. **देयक पर निगम का जी.एस.टी नम्बर :** प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST की राशि का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक से वसूल की जावेगी।

7. **अनुबंध :**

- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जा रही सामग्री की दरों एवं बाजार में प्रचलित दरों में एकरूपता हो, इस संबंध में निर्माता से बाजार में उनके यंत्रों की दरें समतुल्य रहने संबंधी स्टाम्प पेपर पर अंडर टेकिंग प्राप्त की गयी है। अतः कृपया अनुमोदित प्रदायक की बाजार में प्रचलित दरों की अधिकृत जानकारी रखें एवं मुख्यालय को अवगत करावें।
- (ब) निगम द्वारा निर्माता कम्पनी के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया गया है के आधार पर निगम निर्माता कम्पनी से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिकृत है एवं प्राप्त कन्साईनमेंट का विधिवत सेम्पल लेते हुये क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा कराया जा सकता है। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

8. **भुगतान :** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।



9. **प्रशिक्षण (ट्रेनिंग)** : निगम के जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदान की गयी सामग्री के उचित संचालन और रख रखाव हेतु केता विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति, अधिकारी/कर्मचारी और निगम से संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को प्रदायक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
11. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा SOLAR DEHYDRATOR के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र ज्ञानिकी, छठवीं मजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. कम्प्यूटर कक्षा, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें एवं जिला प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं संबंधित प्रदायक को ई-मेल द्वारा सूचित किया जावे।
9. **M/S AAROHAH AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED, CHEMBER NO. 610 BEHIND DISTRICT COURT, ARERA HILLS BHOPAL (MP) MOB 9302151358**
संबंधित प्रदायक की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तों से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरुद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है।



प्रबंधक (विपणन)
11/11/2023

प्रबंधक (विपणन)
11.11.2023